- (ग) प्राइवेट अध्परेष्टरों द्वारा किये गए कारोदार को विभाग के राजस्व में ई हानि के रूप में नहीं लिया जासकता क्यों कि विभाग इसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा और न ही इस पर कोई खर्च कर रहा है। जहां तक क्रिअर सेवाओं का संबंध है, जब तक वे ऐसे पासल ग्रौर ग्रन्य मुद्रित सामग्री लाते-ले जाते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति को पत्नाचार की श्रेणी में नहीं ग्राती, तब तक वे भारतीय डाक्चर प्रधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं।
- (घ) समानान्तर डाक सेवाग्रों के विकास को, डाक सेवायें उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के रूप में नहीं लिया जा सकता इनका विकास, विकासशील वाणिज्यिक ग्रीर ग्रीद्योगिक संस्थानीं द्वारा नई किस्म की सेवाश्रों की मांग केकारण अधिक हुआ है।
- (ङ) विभाग ने ग्राहकों कौ एक प्रति-योगी, तेज और गारंटी शुद्धा सेवा प्रदान इदरने के लिए 1-1-86 से अपनी स्पीड पोस्ट (एक्सप्रस डाक सेवा) चालू की है। जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं —
 - (i) फी पिक-अप सर्विस,
 - (ii) बुक युग्नर ग्रोन ग्राटिकल स्कीम,
- (iii) बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी (बिना पूर्व भ्रदायगी किए वस्तुम्रों की बुक्तिंग और विलों का सभायोजन साप्ताहिक म्रोधार पर) ।
- (iv) पैसा वापस लेने की सुविधा (पे बैंक फैसिलिटी) (गारटी शुटा समय के भीतर वितरण न करने के मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क की वापसी)।

मध्य प्रदेश को सङ्क निधि से ग्रनुदरम

- 442. श्री राघवजी: स्था जल भतल परिवहन मंत्री वह बताने की कृपा करेंने
- (क) क्या सध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3-पर बने मोमा

पछाड़ पूल के पिछले वर्ष गिर जाने मौर उसके पश्चात् यातायात को विटिहा-द्यशोक नगर, सागर-भोपाल सहकों की ग्रोर मोड़े जाने के फलस्वरूप इन शड़कों पर हुई ट्ट-फुट के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सङ्क निधि से बनुवान दिए जाने की मांग की है,

to Questions

- (ख) यदि हां, तो यह मांग ऋब की गई थी और कितनी धनराणि की मांग की गई है,
- (ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है श्रीर,
- (घ) यदि नहीं, तो अनुदान को कब तक मंज्री दिये जाने की संभावना है ?

जल-मृतल परिवहन मंद्रासय के शब्द मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अध्यक्षिक टाइटलर): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर बोहा-पछाड़ ५ल के दह जाने से यातायात का मार्ग बदलने के कारण राज्य सड़कों को हुई क्षति में सुधार के संबंध में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 14-8-91 की 558.18 लाख रु. लागत के के कुछ प्रस्ताव पेश किए ये, जिनमें विदिशा-अशोक नगर (ग्रोडार से विदिशा सड़क), विदिशा-सागर सड़क, राहतगढ़-भोपाल सड्क ग्रौर विदिशा सड्क शामिल

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सडक निधि में, संसद् द्वारा 13-5-88 की पारित संशोधित संकल्प के ग्रनुरूप ग्रभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा दी गई स्नापसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सङ्क निधि में वृद्धि के बाट ही इन प्रस्तावों के भ्रनुमोदन पर दिचार किया चामा ।